Crim-1

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट निवाई टोंक

उनवान तहसीलदार बनाम रामेश्वर किस्म मुकदमा : प्रा0पत्र 136

मुकदमा नम्बर 611 /2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.10.2025	आवेदन अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 मय रिपोर्ट एवं सम्बन्धित दस्तावेजात के तहसीलदार निवाई की ओर से प्राप्त हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी के आवेदन का अवलोकन किया जिसमें अंकितानुसार ख0नं0 1944 व 1945 वाके ग्राम सिरोही में स्थित भूमि की भू–सुधार शीट के अनुसार वर्तमान नक्शाशीट को दुरूस्त करवाने का निवेदन किया है। पटवार हल्का सिरोही व भू0अ0नि0 सिरोही द्वारा भी आ0ख0नं0 1944 व 1945 की वर्तमान नक्शाशीट में मुताबिक भू–सुधार शीट के अनुसार तरमीम किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार निवाई द्वारा पटवार हल्का सिरोही व भू0अ0नि0 सिरोही की रिपोर्ट को अभिषंशित कर भिजवाया गया है। ऐसे में न्याय हित व भविष्य में अनावश्यक वादो की बढोतरी को रोकने के लिए इस पर विचार किया जाना उचित है। अतः आवेदन अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार निवाई/पटवार हल्का सिरोही एवं भू.अ.नि. सिरोही की रिपोर्ट के आलोक में स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि उपर्यूक्त वर्णित भूमि ख0नं0 1944 व 1945 की भू–सुधार नक्शा ट्रेस के अनुसार तरमीम दुरूस्त कर पालना से अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)	